हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 77

शुक्रवार, 13 मार्च, 2020/23 फाल्गुन, 1941(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री विपिन सिंह परमार जी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

1. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्नः

तारांकित प्रश्न संख्याः 2707 से 2711 तक के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित व्यवस्था दी -

"माननीय सदस्यों द्वारा माननीय अध्यक्ष या उनके कार्यालय की कार्य-प्रणाली संबंधी प्रश्न सदन में उठाने की न तो परंपरा है, न ही नियमों में प्रावधान है। प्रश्न की सूचना देने की शर्तों की शर्त संख्या-4 के अनुसार प्रश्नों में 'अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार का विषय न हो', लिखा गया है। इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि विधान सभा से संबंधित

कोई भी विषय सदन में न उठाएं। विधान सभा से संबंधित सभी विषयों पर चर्चा के लिए या उनके समाधान के लिए सदस्य मेरे कार्यालय कक्ष में आ सकते हैं।"

प्रश्न संख्याः 2712 से 2755 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 984 से 1003 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

2. कागज़ात सभा पटल पर

(1) **श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मन्त्री** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, हैल्थ एजुकेटर-कम-लैक्चरर, वर्ग-I (राजपत्रित), भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2019 जो कि अधिसूचना संख्याः एच0एफ0डब्ल्यू0-बी (बी)1-7/2018 दिनांक 31.10.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 21.11.2019 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

(2) **श्री वीरेन्द्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री** ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 186(4) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (जिला परिषद में पंचायत सचिवों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियम, 2019 जो कि अधिसूचना संख्याः पीसीएच-एचबी (1)4/2016-पं0 सचिव. 49613-733 दिनांक 19.08.2019 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.09.2019 को प्रकाशित, की प्रति सभा पटल पर रखी।

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदन

(1) **श्री राकेश पठानिया, सभापति, लोक उपक्रम समिति,** (वर्ष 2019-20) ने समिति का 23वां कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) जो कि समिति के 10वें मूल प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2018-19) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत

बोर्ड सीमित से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति,** (वर्ष 2019-20) ने समिति के 22वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2015-16) में अन्तर्विष्ट सिफ़ारिशों पर बनें 24वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में निहित सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण जो कि उद्यान विभाग से सम्बन्धित है, की प्रति सभा में उपःस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री जय राम ठाकुर, मुख्य मंत्री ने 'मुख्य मंत्री राहत कोष' से जनहित में आबंटित सहायता राशि के बारे में वक्तव्य देते हुए समाज के सामर्थ्यवान् घटकों से अनुरोध किया कि वह इस कोष में बढ-चढ़ कर दान करें ताकि इस कोष के माध्यम से समाज के गरीब एवं ज़रूरतमंद लोगों की सहायता की जा सके।

वन मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री गोविन्द सिंह ठाकुर, वन मंत्री ने एकीकृत विकास परियोजना (IDP) के अन्तर्गत स्वीकृत हुई धनराशि तथा इसके आबंटन व व्यय की प्रक्रिया के बारे में वक्तव्य दिया।

श्री राजेन्द्र राणा ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए जिला ऊना व अन्य स्थानों पर हिमुडा द्वारा ज़मीन क्रय करने की प्रक्रिया संबंधी मामला उठाया।

माननीय अध्यक्ष ने विषय को व्यवस्था का प्रश्न न मानते हुए शहरी विकास मंत्री को इस विषय में संक्षेप में स्पष्टीकरण देने के लिए कहा।

श्रीमती सरवीन चौधरी, शहरी विकास मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

4. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट अनुमान - सामान्य चर्चा

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया -

1. श्री हर्षवर्धन चौहान

(**12.33 बजे अपराह्न श्री रमेश चंद ध्वाला सभापति पदासीन हुए।**)

श्री अनिरूद्ध सिंह ने व्यवस्था के प्रश्न का हवाला देते हुए अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया।

माननीय सभापति ने विषय को व्यवस्था का प्रश्न न मानते हुए माननीय सदस्य को इसे संबंधित नियम के अन्तर्गत सूचना देकर उठाने के लिए कहा।

श्री बिक्रम सिंह , उद्योग मंत्री ने सदस्य को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा बताई गई समस्याओं को दूर करने के लिए संबंधित विभाग यथोचित कार्रवाई करेगा।

(**12.57 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।**)

(माननीय सदन की बैठक भोजनावकाश के उपरान्त 02.20 बजे अपराह्न माननीय सभापति श्री रमेश चन्द ध्वाला जी की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

2. श्री नरेन्द्र बरागटा
3. श्री नरेन्द्र ठाकुर
4. डॉ0 (कर्नल) धनी राम शांडिल
5. श्री बिक्रम सिंह, उद्योग मंत्री
6. श्री अरुण कुमार

(**04.52 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष पदासीन हुए।**)

(**05.00 बजे सायं सदन की बैठक का समय 07.00 बजे सायंकाल तक बढ़ाया गया।**)

7. श्री विनय कुमार

(**05.06 बजे सायं श्री राकेश पठानिया, सभापति पदासीन हुए।**)

श्री विनय कुमार की चर्चा में पशुपालन विभाग का संदर्भ आने पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने हस्तक्षेप कर स्पष्टीकरण दिया।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री जगत सिंह नेगी ने नियम-302 का हवाला देते हुए व्यवस्था का प्रश्न उठाया एवं चाहा कि जो व्यक्ति सदन में उपस्थित न हो उसपर कोई दोषारोपण न किया जाए।

माननीय सभापति ने व्यवस्था दी कि जो व्यक्ति सदन में उपस्थित नहीं हैं, सदस्य ऐसे किसी व्यक्ति पर अपनी चर्चा के दौरान दोषारोपण न करें।

8. श्री विनोद कुमार
9. श्री होशयार सिंह
10. श्री आशीष बुटेल
11. श्री किशोरी लाल
12. श्री हीरा लाल

(**सदन की बैठक का समय 9.00 बजे सायंकाल तक बढ़ाया गया।**)

13. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने श्री सुन्दर सिंह ठाकुर द्वारा अपनी चर्चा में यह कहने पर कि विकास खंड स्तर पर पैसा unspent पड़ा है, स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि योजनाओं पर व्यय हेतु जो धनराशि स्वीकृत होती है, योजनाओं के पूरा होने पर और UC मिलने के बाद शेष बची राशि को 31 मार्च को विभाग द्वारा आहरित (withdraw) कर लिया जाता है।

14. श्री अर्जुन सिंह
15. श्रीमती रीता देवी
16. श्रीमती रीना कश्यप
17. श्री सुरेन्द्र शौरी
18. श्री जवाहर ठाकुर

19. श्री सतपाल सिंह रायजादा

20. श्री राजेश ठाकुर

(08.51 बजे सायं कांग्रेस विधायक दल ने सदन से बहिर्गमन किया।)

21. श्री विशाल नैहरिया

(08.59 बजे सायं सदन की बैठक का समय 09.05 बजे सायंकाल तक बढ़ाया गया।)

सदन की बैठक 09.02 बजे सायंकाल शनिवार, 14 मार्च, 2020 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई ।